जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

दो माह में 38 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी

जयपुर, 06 अप्रेल। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिये चलाए जा रहे विशेष सतर्कता जांच अभियान के तहत गत दो माह में सतर्कता दलों ने विभिन्न स्थानों पर की गई जांच में करीब 38 करोड़ रुपए की बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले पकड़े है। बिजली चोरी के मामलों में 2461 एफ.आई.आर. दर्ज कर 89 को गिरफ्तार किया गया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि माह फरवरी एवं मार्च 2015 में सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा 37127 जगहों पर जांच की गई, जिसमें 26507 स्थानों पर बिजली चोरी एवं 10620 स्थानों पर बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गये। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के इन मामलों में 37 करोड़ 68 लाख 36 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। 2461 मामलो में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जिसमें से 1981 मामलों में 3 करोड़ 12 लाख 42 हजार रुपए के राजस्व की वसूली भी कर ली गई है। शेष प्रकरणों में 89 को गिरफ्तार कर 46 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

उन्होंने बताया कि सतर्कता विंग के अधिकारियों द्वारा गत दो माह में 5365 जगहों पर जांच की गई जिसमें 4657 बिजली चोरी एवं 708 बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। पकड़े गए इन मामलों में सर्वाधिक 4011 घरेलू बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। अघरेलू के 372, कृषि में 86, मोबाईल टावर के 6 तथा 4 मामले एसआईपी में बिजली चोरी के पकड़े गए हैं एवं पब्लिक स्ट्रीट लाईट के 3 मामले पकड़े गए है। इन सभी मामलों में 10 करोड़ 6 लाख 56 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है

श्री भारद्वाज ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिये ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा फरवरी एवं मार्च माह में 31762 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें बिजली चोरी के 21850 मामले एवं बिजली दुरुपयोग के 9912 मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में 27 करोड़ 61 लाख 80 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 21850 मामलों में बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 208/2015